FORM No. III

फर्द अहकाम (नियम)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड राज0

प्रार्थना पत्र सं. 282/2025 दायरा दिनांक : 06.11.2025

प्रकरण अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट.

उनवान

जाहिद मेवाती पु० शब्बीर खां नि० सुनेल

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुनेल जिला झालावाड राज0

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये
06/11/2025	ग्रामीण सेवा शिविर में प्रार्थी द्वारा उपस्थित होकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही अशुद्धि/त्रुटी को दुरूस्त करने बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट में पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। निर्धारित प्रारूप में अप्रार्थी तहसीलदार से प्रकरण में जांच रिपोर्ट तलब की गई। प्रार्थी व पेरोकार सरकार उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया हैं जिससे यह साबित होता है कि प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में राजस्व कार्मिको द्वारा भू.प्रबंध सर्वे–रिसर्वे के दौरान या फर्द बदर बनाते समय या नामान्तरण दर्ज करते समय कोई टाईपिंग या लिपीकीय त्रुटी गई हो। अतः पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर रजिस्टर में खारजा लगाया जावे। (दिनेश कुमार मीना) सहायक लैण्ड रिकार्ड अधिकारी एवं पीठासीन अधिकारी, पिडावा उपखण्ड अधिकारी पिडावा, जिला झालावाड़ (राज.)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:29:46 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner